

जयपुर

विवरण

न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्या: 22/2017 ( सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

चेतन कुमार शर्मा पुरानी पंचायत भवन के पास वार्ड नं0 13 गांव भानपुरकलौ तहसील  
जमवारामगढ जिला जयपुर ।

...अपीलांत

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ( उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार  
अधिनियम, 2005



निर्णय

दिनांक: 17.10.17

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 24.07.2017 का आवेदन-पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 22.09.2017 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ ) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई। अपीलांत स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2017 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो शीघ्र निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हस्त कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)  
अपीलीय अधिकारी